

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम (म0प्र0)

// आदेश //

क्रमांक **663** / दो-11-17 / 2026

नर्मदापुरम, दिनांक 30 / 06 / 2026

मैं, तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2026 के पेज क्रमांक 5 की कंडिका 4 श्री अभिनव कुमार जैन, द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष कॉलम 4 की कंडिका 8 को विलोपित करते हुये निम्नानुसार पुनः प्रतिस्थापित करती हूँ :-

- 8- तहसील माखन नगर एवं डोलरिया के क्षेत्रांतर्गत हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 एवं विवाह संबंधी ऐसे वाद एवं आवेदन जिनकी सुनवाई की अनन्य अधिकारिता जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायालय को है।

(Signature)
(तृप्ति शर्मा)

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म0प्र0)

पृ० क्र. **2873** / सां० लि० / 2026

नर्मदापुरम, दिनांक 30 / 06 / 2026

कार्यविभाजन आदेश 2026 में किये गये आंशिक संशोधन की प्रतिलिपि :-

- 01- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 - 02- समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला स्थापना, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
 - 03- अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
 - 04- प्रस्तुतकार सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम
 - 05- पंजीयन लिपिक, नर्मदापुरम
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वास्ते - प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म0प्र0)